

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 354 / 2011
संस्थान दिनांक 11.07.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

संतोष पिता रणछोड़ माली, आयु 35 वर्ष,
निवासी-ग्राम भागसुर, तहसील राजपुर,
जिला बड़वानी म.प्र

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 24.02.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 200 / 2011 अंतर्गत 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 11.07.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16.06.2011 को समय दोपहर लगभग 3:30 बजे, साकेत जीनिंग के सामने, अंजड़-बड़वानी रोड़, अंजड़ में वाहन नई बोलेरो क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करने, आहत राकेश को गंभीर उपहति कारित करने तथा उक्त वाहन से केशव को टक्कर मारी, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, के संबंध में धारा 279, 338, 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अभियोग पत्र राकेश और केशव के संबंध में प्रस्तुत किया गया था तथा प्रथम अभियोग पत्र प्रस्तुती दिनांक 06.07.2011 के पश्चात् आहत केशव की मृत्यु होने से पुनः भा.द.सं. की धारा 304-ए के अंतर्गत अभियोग पत्र दिनांक 07.09.2012 को केशव की मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त की ओर से मृतक केशव का शव परीक्षण भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार केशव की मृत्यु प्रदर्शपी 13 में दर्शित चोटों से होना भी स्वीकृत है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.06.2011 को फरियादी मनोज शर्मा बड़वानी से वापस अंजड़ मोटरसाईकिल से आ रहा था, जैसे ही वह साकेत जीनिंग के सामने पहुँचा कि अंजड़ की ओर से एक बोलेरों जीप क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 का चालक उसके वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी के आगे चल रही मोटरसाईकिल चालक को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाईकिल चालक गिर गये, उसके पश्चात् फरियादी ने जाकर देखा तो मोटरसाईकिल चालक को हाथ एवं पैरों, दाहिने पैर व सिर में दोनों हाथों, पेट एवं पीठ पर चोटें आई थी तथा उसके साथ बैठे हुए व्यक्ति को दोनों पैर एवं हाथों में व पीठ में चोटें आई थी। फरियादी ने दोनों आहतों को चिकित्सा हेतु चिकित्सालय भिजवाया तथा टक्कर मारने वाले वाहन का चालक वाहन को छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने फरियादी मनोज शर्मा की द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर वाहन नई बोलेरों क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 200/2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी मनोज शर्मा की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष घटनास्थल से वाहन नई बोलेरों क्रमांक एम. पी. 12 टी.सी. 90/02 को जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने मृतक केशव के शव का पंचायतनामा बनाने हेतु साक्षियों को प्रदर्शपी 9 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 10 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त संतोष से वाहन नई बोलेरों क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 के दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने अभियुक्त संतोष को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 7 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया व अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी मनोज शर्मा एवं साक्षीगण मंशाराम, राकेश, राहुल, राकेश, केशव व मदन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 304—ए भा.द.सं.के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित किया तथा मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत संशोधित अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.06.2011 को समय दोपहर लगभग 3:30 बजे, साकेत जीनिंग के सामने, अंजड़-बड़वानी रोड़, अंजड़ में वाहन नई बोलेरों क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत राकेश को उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर केशव को टक्कर मारी, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी मनोज शर्मा (अ.सा.1), राकेश (अ.सा.2), राहुल (अ.सा.3), मदनलाल (अ.सा.4), सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह (अ.सा.5), सहायक उपनिरीक्षक राम आसरे यादव (अ.सा.6), मैकेनिक मोहसिन (अ.सा.7), सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कनेश (अ.सा.8) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, व 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी मनोज शर्मा अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। वह बड़वानी से अंजड़ आ रहा था। साकेत जीनिंग के सामने अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें दो व्यक्ति को उठाकर एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल लेकर गये थे, उसने थाने पर घटना के संबंध में कोई भी रिपोर्ट नहीं की थी। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साकेत जीनिंग के सामने वाहन के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर उसके आगे चल रही मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी।

साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आहत व्यक्तियों के नाम केशव एवं राकेश थे। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस को बोलें वाहन का क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 लिखाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने केवल प्रदर्शपी 1 पर हस्ताक्षर थाने पर करना स्वीकार किया है। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 5 का कथन देने से भी इंकार किया है तथा केवल प्रदर्शपी 2, 3 व 4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

8. राकेश अ.सा.2 का कथन है कि घटना वाले दिन वह मोटरसाईकिल से बड़वानी से ग्राम तलकपुरा केशव के साथ जा रहा था, साई मंदिर के सामने उनकी दुर्घटना हो गई थी। बोलें वाहन के चालक ने गलत दिशा से आकर वाहन को लहराकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी जिससे उनको चोंटे आई थी और उनका अस्पताल में ईलाज हुआ था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पास चालन अनुज्ञप्ति है। उसने पुलिस को कथन में यह बताया था कि वाहन चालक वाहन को लहराते हुए ला रहा था, यदि पुलिस ने प्रदर्शपी 1 में उक्त बात नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है।

9. राहुल अ.सा. 3 ने भी केशव व राकेश की दुर्घटना होने के संबंध में और उनको चोंटें आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 3 पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

10. मदनलाल अ.सा. 4 ने अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी का केवल इतना कथन है कि वर्ष 2011 में उसने बोलें वाहन कय किया था तथा जिस पर उसके भाई का पुत्र चलता है, लेकिन उक्त वाहन से कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 16.06.2011 को उसकी नई बोलें वाहन ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी जिसे अभियुक्त चला रहा था। यहाँ तक कि साक्षी ने प्रदर्शपी 8 का कथन भी पुलिस को देने से स्पष्ट इंकार किया है।

11. सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह अ.सा. 5 ने दिनांक 16.06.2011 को थाना अंजड़ में मनोज शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 200/11 प्रदर्शपी 1 का दर्ज करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि थाना ऊन, जिला खरगोन से दुर्घटना में घायल केशव की मृत्यु की सूचना मिलने पर मर्ग क्रमांक 41/12 प्रदर्शपी 10 का दर्ज किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी और उसने फरियादी से केवल प्रदर्शपी 1 पर हस्ताक्षर करवाये थे।

12. मोहसिन अ.सा. 7 ने दिनांक 20.06.2011 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 200/11 में जप्तशुदा बोलेरों वाहन क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 का परीक्षण कर उसे ठीक अवस्था में होने और प्रदर्शपी 12 का परीक्षण प्रतिवेदन देने के संबंध में साक्ष्य दी है।

13. सहायक उपनिरीक्षक राम आसरे यादव अ.सा.6 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 200/11 की विवेचना के दौरान प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाने, घटनास्थल साकेत जीनिंग के पास बोलेरों वाहन क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त करने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने और अभियुक्त के पेश करने पर वाहन का विक्रय पत्र, बीमा पॉलिसी और चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 22.07.2012 को थाने के मार्ग क्रमांक 41/12 दुर्घटना में घायल केशव पिता रूगनाथ की मृत्यु होने के संबंध में मार्ग सूचना प्राप्त होने पर साक्षी मशाराम, राकेश व रहुल के कथन लिये थे तो उन्होंने केशव की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना बताया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊन के चिकित्सक से केशव के संबंध में मेडिकल प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 11 का जप्त किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे मनोज ने घटनास्थल नहीं बताया था या साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रकरण में असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

14. सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कनेश अ.सा.8 ने दिनांक 07.07.2012 को थाना ऊन से मृतक केशव पिता रूगनाथ की मृत्यु के संबंध में प्रदर्शपी 9 का मार्ग जॉच हेतु प्राप्त होने पर सफीना फार्म जारी कर और नक्शा पंचायतनामा प्रदर्शपी 10 का बनाने के संबंध में कथन किये हैं।

15. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले साक्षी मनोज शर्मा अ.सा.1 ने पुलिस को प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है तथा शेष परीक्षित साक्षियों ने भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है यहाँ तक कि आहत साक्षी राकेश अ.सा. 2 ने भी अभियुक्त द्वारा लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से बोलेरों वाहन क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनको टक्कर मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी टक्कर राकेश को मारकर घोर उपहति कारित की थी तथा केशव की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की थी जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है।

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त संतोष के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय तीनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त संतोष को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 338, 304-ए भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरों क्रमांक एम.पी. 12 टी.सी. 90/02 दिनांक 22.06.2011 को उसके पंजीकृत स्वामी मदनलाल पिता लक्ष्मण पंवार, निवासी-श्रीनगर कॉलोनी, मण्डलेश्वर को सुपुर्दगी पर दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी